

सेवा में,

माननीय सदस्य,
डॉक्टर आशा लकड़ा,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
6th फ्लोर, बी विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, न्यू दिल्ली- 110003

विषय - भुईहर/भुईहर मुंडा जाति को झारखंड के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संबंध में ।

महाशया,

सविनय निवेदन है कि भुईहर/भुईहर मुंडा समुदाय जिनका निवास पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला एवं सिमडेगा जिला में है झारखंड के मूल निवासी बैंग एवं पाहन कहलाने वाले, जिनकी जमीन सीएनटी एक्ट से आच्छादित, जिनको झारखंड राज्य निर्माण से पहले S T का जाति प्रमाण पत्र निर्गत होता था, रांची, पलामू, बंगाल, उड़ीसा, गजेटियर के अनुसार प्रथम वासिंदे के रूप में परिभाषित किए जाने वाले समुदाय, जिनको झारखंड राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सूची में सूचीबद्ध है इस संबंध में भारत के महा रजिस्ट्रार जनरल सामाजिक विभाग ने जनजाति मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से पांच बिंदुओं पर स्पष्टीकरण 20/3/2023 को झारखंड सरकार से मांगा था झारखंड सरकार ने स्पष्टीकरण तैयार करने हेतु आदेश कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग दिनांक -27/04/2023 को डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान रांची को जारी किया तत्पश्चात शोध संस्थान रांची ने पांच बिंदुओं पर मानव शास्त्री द्वारा अध्ययन करा कर स्पष्टीकरण तैयार कर कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार को सौंप दिया। समुदाय द्वारा इस विषय में आर टी आई जानकारी मांगे जाने पर कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने जवाब दिया है कि इस विषय से संबंधित फाइल सचिव स्तर पर उपस्थापित है। लगभग 24 महीना होने के बाद भी पांच बिंदुओं पर तैयार किया हुआ फाइल भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय को नहीं भेजी गयी। जिससे इस समुदाय में झारखंड सरकार के प्रति निराशा हुई है एवं समुदाय की स्थिति आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के कारण काफी दयनीय और विलुप्ति के कगार पर है। कई बार समुदाय ने मुख्यमंत्री महोदय से

मिलकर संज्ञान लेने हेतु निवेदन किया लेकिन अभी तक झारखंड सरकार ने स्पष्टीकरण नहीं भेजा।

2. अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय पर संज्ञान लेते हुए झारखंड सरकार को संबंधित फाइल जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार को भेजने हेतु उचित कार्रवाई करने की कृपा करें।

अनुसंग- 1.

1. जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा झारखंड सरकार से मांगी गई अतिरिक्त सूचना पत्रांक F.No.12026/05/2021-C&LM(E-21676) Ministry of tribal affairs (C&LM DIVISION) प्रति कॉपी
2. कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग झारखंड सरकार द्वारा आदेश डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान रांची को पत्रांक 14/ज . नि .- 03-09/2016 का 2462 दिनांक 27/04/23
3. R T I के तहत मांगी गई सूचना पत्रांक लोक सू - 195/2025 का. - 3069 रांची 14/07/25
4. शोध संस्थान द्वारा तैयार किया गया पांच बिंदुओं का अंतिम पृष्ठ निष्कर्ष की कॉपी

26.12.2025

विश्वासी

Satyaprakash Hurhuria

भूईहर समाज प्रतिनिधि
सत्य प्रकाश हुरहूरिया
सेवानिवृत्ति
सहायक समादेष्टा BSF,
8763058819

hurhuriasatyaprakash@gmail.com

पत्राचार का पता

नेतरहाट सरना टोली
पो. नेतरहाट, जिला लातेहार
पिन 822119 *महेश्वर*

Ministry of Home Affairs
Gateway to Visit Government

(Lok Nayak Bhawan)
Daily Visitor Pass



Valid Duration वैध अवधि : 11:44 To 14:44 Printed On 26/12/2025 11 44

Reg No पंजीकरण संख्या : 0168/0385/1699309/2025/6536

Reg Date पंजीकरण तिथि: 26/12/2025

Visitor Details आगंतुक विवरण

Name : SATYA PRAKASH

नाम : HURHURIA

F/S Name :

पिता/पति का नाम :

Gender :

लिंग :

M

Address :

पता :

Mobile No.

मोबाइल नंबर :

ID Details :

पहचान विवरण :

HARO **TOLI *****AGAR

**NCHI JH **4005

*****8819

Other

*****7378



To Meet मिलने को

Officer Name : Dr. Asha Lakra

अधिकारी का नाम : डॉ. आशा लकड़ा

Approving Officer : Dr. Asha Lakra(Member)

अनुमोदन अधिकारी : डॉ. आशा लकड़ा

Address : 603, 6th Floor B-Wing, National Commission for Scheduled Tribes (NCST)

पता :

Gadgets. / गैजेट :

Purpose : / उद्देश्य : SUBMISSION OF APPLICATION

Remark : / टिप्पणी : ONLY FACILITATION CENTRE

Signature, Officer Visited:

अधिकारी के हस्ताक्षर:



Valid Date 26/12/2025

वैध तिथि :

Sr. Reception Reception Officer
वरिष्ठ स्वागत/ स्वागत अधिकारी
(Anish Rana)

Reception Gate No. 1, Lok Nayak
Bhawan

EJA6SWAP-SWA110.23.154.203

INSTRUCTIONS/दिशा निर्देश

जिस कार्यालय के लिए पास आवंटित है उसके अलावा आगंतुक सरकारी भवन के अन्य

कार्यालयों में ना घूमें और मुलाकात के पश्चात पास को सुरक्षाकर्मी के पास अवश्य जमा करवायें।

VISITOR SHOULD NOT ROAM AROUND THE OFFICES IN THE GOVERNMENT BUILDING EXCEPT THE
OFFICE TO BE VISITED AND HE/SHE MUST RETURN THE PASS TO SECURITY PERSONNEL AFTER THE VISIT.